/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 20/9/17 को घोषित)

- 01. <u>अ</u>भियुंक्त के विरूद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनार्थ एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. सक्षिप्त विचारण किया गत्या अतं अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वकं स्वीकारोवित के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा १४--१ (क) के तहत आरोपी को दोषी उहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के सबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रूपये ऽ०० शब्दों में जिन्म स्ति रूपये रूपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर ी हिल्लास का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।

भागीर निर्वेश्वन पर टिकित